<u>न्यायालय: – श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैत्ल

<u>दांडिक प्रकरण क :- 149 / 12</u> संस्थापन दिनांक:--19 / 03 / 12 फाईलिंग नं. 233504000922012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियो</u>जन

वि क्त द्ध

दिलीप पिता शेषराव खादीकर, उम्र 35 वर्ष निवासी खापाखतेड़ा, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 15.11.2017 को घोषित)

- प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 304(ए), 201 भा0दं0सं0 एवं 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 10.02.2012 को शाम 4 बजे रतेड़ा आमला रोड दैयतबाबा के पास 8 किमी. उत्तर थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत वाहन मोटर सायकिल क. एमपी—48—बी—1350 का चालक होते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर उसमें बैठी शांताबाई को गिराकर ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती एवं घटित हुए अपराध की साक्ष्य को छिपाया एवं उक्त वाहन को बिना झायविंग लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 16.03.2012 को थाना आमला में मर्ग क. 11/12 की जांच उपरांत मोटर सायिकल क. एमपी—48—बी—1350 का चालक दिलीप के विरुद्ध अपराध क. 113/12 पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से एक मोटर सायिकल क. एमपी—48—बी—1350 मय रिजस्ट्रेशन के जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। अभियुक्त के पास इायविंग लायसेंस एवं वाहन का बीमा न होने से उसके विरुद्ध धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम का ईजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष हैं और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर मोटर सायिकल क. एमपी—48—बी—1350 का चालक होते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर उसमें बैठी शांताबाई को गिराकर ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती ?
- 2. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर घटित हुए अपराध के साक्ष्य को छिपाया ?
- 3. क्या अभियुक्त ने घटना के समय उक्त वाहन को बिना लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाया ?
- निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02 एवं 03 का सकारण निष्कर्ष

- 5 उपर्युक्त तीनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 6 हेमराज (अ.सा.—3) तथा प्रीतम (अ.सा.—5) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि मृतक शांताबाई का एक्सीडेंट हो जाने से मृत्यू हो गयी थी।
- 7 प्रकरण में चिकित्सकीय साक्षी को अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत रख आहूत नहीं किया गया परंतु शांताबाई की मृत्यु को बचाव पक्ष की ओर से चुनौती नहीं दी गयी है। साथ ही अभिलेख पर संलग्न दस्तावेज (प्रदर्श पी—7) लाश पावती तथा (प्रदर्श पी—4) पंचनामा, (प्रदर्श पी—6) घाट सर्टिफिकेट एवं इक्वेस्ट पंचनामा (प्रदर्श पी—5) के अवलोकन आहत शांताबाई की मृत्यु होने के तथ्य की संपुष्टि होती है।
- 8 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह देखा जाना है कि क्या घटना दिनांक को अभियुक्त दिलीप के द्वारा वाहन मोटर सायकिल क. एमपी—48—बी—1350 को उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की

गयी जिसके फलस्वरूप शांताबाई की मृत्यु हो गयी ?

- हेमराज (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त दिलीप उसका भाई, मृतक शांताबाई उसकी नानी है। जब वह अस्पताल नानी को देखने के लिए गया था तो पता चला था कि नानी का एक्सीडेंट हो गया है। उसके समक्ष कोई भी घटना नहीं हुई थी। उसे मृतक शांताबाई के पंचनामा को तैयार करने का नोटिस मिला था। अस्पताल में उसके समक्ष मृतक शांताबाई इक्वेस्ट पंचनामा तैयार किया गया था और उसे घाट सर्टिफिकेट दिया गया था तथा लाश सुपुर्दगी पर दी गयी थी। प्रीतम (अ.सा.–5) का कहना है कि वह अभियुक्त दिलीप और मृतक शांताबाई को पहचानता है। घटना लगभग 3-4 वर्ष पुरानी है। घटना के समय वह अपने घर पर था। शांताबाई को ईलाज के लिए नागपुर ले गये थे जहां पर उसकी मृत्यु हो गयी थी। जब ईलाज कराकर वापस आये तो उसे पता चला था कि शांताबाई की मृत्यु हो गयी है। दुर्घटना उसके सामने नहीं हुई थी। पुलिस ने उसके समक्ष अभियुक्त दिलीप से कुछ जप्त नहीं किया था और न ही उसे गिरफ्तार किया था। उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी प्रीतम ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त दिलीप ने वाहन क. एमपी-48-बी-1350 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर पीछे बैठी शांताबाई को गिरा दिया था तथा साक्षी हेमराज ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त दिलीप शांताबाई को मोटर सायकिल से ईलाज के लिए अस्पताल ले जा रहा था और अभियुक्त दिलीप से यह बताया था कि शाम को करीब 4 बजे उसने अपनी मोटर सायकिल क. एमपी-48-बी-1350 से एक्सीडेंट कर नानी को गिरा दिया था। प्रतिपरीक्षण में उपर्युक्त साक्षीगण ने घटना के संबंध में कोई जानकारी न होना और अपने समक्ष घटना न होना बताया है।
- 10 प्रकरण में साक्षी यादोराव (अ.सा.—1), किशोरी (अ.सा.—2), सकुन (अ.सा.—6) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन के समर्थन में साक्षीगण ने कोई भी कथन नहीं किये हैं। फलतः अभियोजन को उपर्युक्त साक्षीगण की साक्ष्य से कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होती है।
- 11 लख्खू साहू (अ.सा.—4) ने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 15.03. 2012 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को मर्ग क. 11/12 की डायरी जांच हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी—9) तैयार करना तथा मर्ग जांच उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क. 113/12 में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी—10) लेखबद्ध करना, साक्षी यादोराव की निशादेही पर मौका नक्शा (प्रदर्श पी—11) तथा दिनांक

17.03.2012 को अभियुक्त से एक मोटर सायिकल क. एमपी—48—बी—1350 मय दस्तावेज के जप्त कर (प्रदर्श पी—1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त का गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी—2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित किया है। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने अभियुक्त के पास वाहन का लायसेंस एवं बीमा न होने के कारण उसने अभियोग पत्र में धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम का ईजाफा किया था।

- 12 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि हाटना दिनांक को अभियुक्त दिलीप के द्वारा वाहन मोटर सायिकल क. एमपी—48—बी—1350 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की गयी जिसके परिणाम स्वरूप मृतक शांताबाई की मृत्यु हुई। अभिलेख अभियुक्त दिलीप के द्वारा वाहन उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाये जाने के संबंध में साक्ष्य का नितांत अभाव है। साथ ही अभिलेख पर ऐसी भी साक्ष्य नहीं है जिससे कि यह प्रकट हो कि अभियुक्त के द्वारा साक्ष्य का छिपाव किया गया हो। साथ ही विवेचक साक्षी लख्खू साहू (अ.सा.—4) के कथनों से भी यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त ने दुर्घटना के संबंध में तथ्य का छिपाव किया हो या सही जानकारी न दी हो और न ही इस संबंध में कोई विवेचना की जाना भी प्रकट हो रहा है। उपर्युक्त परिस्थितियों में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त दिलीप ने मोटर सायिकल क. एमपी—48—बी—1350 को उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर वाहन में बैठी शांताबाई को गिराकर ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती।
- 13 प्रकरण में अभियोजन यह स्थापित नहीं कर पाया है कि घटना दिनांक को कथित वाहन अभियुक्त ही चला रहा था। साथ ही अभियुक्त से वाहन की जप्ती दिनांक 17.03.2012 को की गयी है जबिक घटना दिनांक 10.02. 2012 की है। अभियुक्त से वाहन की जप्ती घटना के लगभग एक माह बाद की गयी है। ऐसी परिस्थितियों में यह भी प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने कथित वाहन को बिना बीमा व लायसेंस के चलाया।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

14 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन मोटर सायकिल क. एमपी—48—बी—1350 का चालक होते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर उसमें बैठी शांताबाई को गिराकर ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती एवं घटित हुए अपराध की साक्ष्य को छिपाया एवं

उक्त वाहन को बिना ज्ञायविंग लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाया। फलतः अभियुक्त दिलीप को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(ए) भा0दं0सं0 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

- 15 प्रकरण में जप्तशुदा लाल रंग का मोटर सायकिल क. एमपी—48 —बी—1350 आवेदक / सुपुर्ददार दिलीप पिता शेषराव निवासी ग्राम खापाखतेड़ा, थाना आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान की गयी है। अपील अविध पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।
- 16 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 17 आरोपी द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैत्ल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)